न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 36 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. गेनाराम पुत्र मुकनाराम 2. जोगाराम पुत्र मुकनाराम 3. पुनमाराम पुत्र मुकनाराम 4. श्रीमती किस्तुरी पत्नी मुकनाराम जाति जाट निवासी पोकरासर पटवार हल्का छोटू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 5. नारणाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी छोटू तहसील गुड़ामालानी		1. बाबूराम पुत्र पुरखाराम 2. ईश्वरराज पुत्र पुरखाराम 3. देदाराम पुत्र पुरखाराम 4. दानाराम पुत्र पुरखाराम 5. नरसीगाराम पुत्र पुरखाराम 6. निम्बाराम पुत्र पुरखाराम 7. श्रीमती पुरो पत्नी पुरखाराम 8. वेनाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी पोकरासर छोटू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 9. तहसीलदार गुड़ामालानी

अपोल अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 11 / 2021 बअनवान बाबूराम वगैरा बनाम गेनाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.04.2023 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री रामजीवन विश्नोई अपीलान्ट संख्या 01 से 04 की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट संख्या 05 की ओर से
3. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 08 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—19.02.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 08 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम पोकरासर पटवार क्षेत्र छोटू तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा संख्या 414 का आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाड़ौस के खेत खसरा संख्या 794 / 412 में से ही आ जा सकते है। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान दिनांक 08.11.2021 में पत्रावली को राजीनामा हो तो निस्तारण हेतु रखी गई जिसकी सुचना अपीलांट को नहीं दी गई। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट प्राप्त करने में रखते हुए उसी प्रशासन गांवों के संग अभियान में बैठे बैठे पटवार हल्का से रिपोर्ट बनाकर ली गई जो दिनांक 08.11.2021 की आदेशिका से स्पष्ट है। उक्त मौका रिपोर्ट पर न अपीलांटस को सुना न ही अपीलांटस मौके पर आये। उतरदातागण के मात्र कहने पर पटवारी हल्का व आर आई के प्रभाव में आकर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत के नियमों को ताक में रख कर अपीलकर्ता को बिना सुने ही मौका रिपोर्ट तैयार की है जिसमें विवादित स्थल सेढे के पास अपीलांटगण की ढाणी बनी हुई थी। ढाणी के चारो ओर सिणो की पटीयां की बाड़ बनाई हुई थी उसमें से रास्ता प्रस्तावित किया गया। अपीलांटस द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपतियां पेश की गई जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एकतरफा कैम्प कोर्ट में बैठे बैठे तैयार की गई। मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को सूचित नहीं किया गया। पत्रावली सुनवाई हेतु कैम्प कोर्ट में रखी गई इस बाबत अपीलांटस को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर कभी भी रास्ता नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। लेकिन तहसीलदार अपीलाधीन आराजी का मौका नहीं देखकर मौका कमिशनर की शक्तियाँ आगे भू अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी को हस्तांतरित कर दी। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट पर आपति पेश की गई जिसका निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन रास्ते की अपीलांटस को कोई अत्यांतिक आवश्यकता नहीं थी केवल मात्र अपनी जोत के सुविधाजनक उपभोग एवं उपयोग के लिए रास्ते का आवेदन किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपील के जरिये आपति की गई कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई जवकि कानून में प्रावधान है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए में भू अभिलेख निरीक्षक स्तर का कर्मचारी/अधिकारी मौका रिपोर्ट तैयार कर अदालत में पेश कर सकता है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी का तथ्या गैर वाजिब है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–RRT 2022(1) Page 177 पेश किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम/सुगम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। मौका रिपोर्ट दिनांक 08.11.2021 में स्पष्ट वर्णित है कि "प्रार्थी बाबुराम के खातेदारी खेत खसरा संख्या 414 तक पहुंचने हेतु समर्पित रास्ते से सड़क तक के बीच 794/412 के अलावा निकटतम कोई स्रोत नहीं है। उक्त खसरा नम्बर तक पूर्व में खसरा नम्बर 413 व 794/412 की मेड़ पर ख. सं. 794/412 के अंदर होकर पट्टियां खड़ी की

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाकर एवं तारबंदी कर मौके पर रास्ता बनाया हुआ था। वर्तमान में विप्रार्थीगण ख. सं. 794/412 के खातेदारों द्वारा प्रार्थीगण के खसरा संख्या 414 तक पहुंचने में व्यवधान पैदा कर चालू रास्ते के अंदर वाद दायर करने के उपरांत अवैध रूप से कब्जा एक झोपा अंदर लाकर रख दिया है, जो रास्ता अवरूद्ध करने की नियत से लग रहा है। वादीगण को 794/412 के अलावा निकटतम दूसरा कोई विकल्प अपने खसरे तक पहुंचने हेतु नहीं है।" उपरोक्त मौका रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 11/2021 बअनवान बाबूराम वगैरा बनाम गेनाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.04.2023 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है कि उतरदातागण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु प्रदत्त रास्ते को नियमानुसार सार्वजनिक आवागमन हेतु तुरंत प्रभाव से खुलवा कर सुचारू करे।

19/2/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/2/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर